निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 48 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून, के माह 08/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री संजीव कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 7/10/2017 से 24/10/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एव श्री जयंत प्रकाश वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वार दिनांक 7/9/2016 से 21/9/2016 तक श्री डी पी सिंह वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण मेन संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 04/2015 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(iii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून,** के अंतर्गत धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र, केंट विधान सभा क्षेत्र एवं राजपुर विधान सभा क्षेत्र(आंशिक) के अंगर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख
14-15	5054 4059 3054 2059 2216	-	-	6903.51 160.00 -	6912.04 160.01 -	- - 876.56 89.75 35.74	- - 876.55 89.78 35.02
15-16	5054	-	-	3984.22	3984.00	--	

	4059 3054 2059 2216			177.83	178.98	915.32 109.01 52.50	916.85 109.22 49.82
16-17	-5054 4059 3054 2059 2216	-	-	3237.16 136.73	3239.93 136.73	- 706.11 115.30 35.07	706.11 115.30 35.07
17-18	-5054 4059 3054 2059 2216	-	-	3194.62 80.00	2659.27 22.56-	476.18 90.36 15.26	369.31 25.73 11.98

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “A” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

1.क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

1.अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत लोक निर्माण विभाग, देहरादून

1. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून,**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

माह 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु एवं जनपद देहरादून में धरमपुर- मोथरोवाला मार्ग में हरिद्वार बायपास के निकट महिंद्रा शोरूम से मोथरोवाला/चांदमारी के निकट तक तक मार्ग का चौडीकरण कार्य को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक से का निरीक्षण किया गया।
खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 03/2017. तक की गई।

फार्म 51: माह 09/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs.230285

भाग द्वितीय Rs.434302

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह09/2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	1360897
(ख)	सामग्री क्रय	Nil
(ग)	नगद परिशोधन	Nil
(घ)	निक्षेप	91056934
(ङ)	भण्डार	442900

भाग-II (ब)

प्रस्तर-(1) निर्धारित अव ध चार वर्ष से पहले बीसी से नि र्मत मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से अधोमानक कार्य :- `**1.03** करोड़

वत्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **50/ III (3) / 13-11** (एस0पी0ए0) **/ 12** दिनांक **23** जनवरी 2013 के द्वारा जनपद देहरादून में वशेष आयोजनगत सहायता **(**एस0पी0ए0**)** के अंतर्गत एमबीएसडी शहीद गजेन्द्र संह बिष्ट मार्ग (शमला बाइपास मोटर मार्ग लम्बाई- 34.54 कमी) के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु `**46.98** करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत कार्य के लए प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति व्यय वभाग, वत्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या:- 44(3)उत्तराखण्ड- एस0पी0ए0 / पी0एफ0-1/2011-1113, दिनांक 21.12.2012 एवं मुख्य अ भयन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0 व0, पौड़ी के पत्र संख्या:- 4473/09 (130)/याता0 (मा0मु0धो0)-पर्व0/2012, दिनांक 31/10/2012 को संद र्भत करते हुए प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही रा श और उतनी ही लम्बाई के लए मुख्य अ भयन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो**0**नि**0** व**0**, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या**:- 168 /09/**एस**0**पी**0**ए**0**-पर्व**0**/ **2013** दिनांक **08.02.2013** के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्य सम्पादन के लए **Two-Bid system** के अन्तर्गत मार्ग के लए नि वदा **05** नवम्बर **2012** को आमंत्रित की गयी थी जिसके टेक्निकल बीड और **financial bid** में **M/s** आर जी बिल्डवेल, राजनगर, गाजियाबाद, को न्यूनतम नि वदादाता होने के कारण, वभाग के द्वारा पुनरी क्षत शैड्यूल-बी आधार पर `**36.12** करोड़ में, नि वदा, नि वदा परामर्शी स मति के संस्तुति पर प्रदान की गयी थी। कार्य के सम्पादन के लए अधीक्षण अ भयन्ता स्तर से अनुबन्ध संख्या**:- 11/SE-9/12-13** के द्वारा `**36.12** करोड़ के अनुबन्ध का गठन कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश: 27.02.2013 एवं 26.02.2015 थी। वर्तमान में इस अनुबंध के अंतिम देयक के अनुसार `**30.32** करोड़ की रा श व्यय हुई थी और कार्य की अन्तिम माप 10 सतम्बर 2015 ली गई थी। इस कार्य के व भन्न अ भलेखों यथा प्राक्कलन, अनुबंध एवं अंतिम देयक के जांच में यह अवगत हुआ था क अनुबन्ध संख्या**:- 11/SE-9/12-13** के द्वारा

कार्य 10 सतम्बर 2015 को पूर्ण कए जाने के 14 महीनो के बाद ही इसी मार्ग के कमी-1 से 6 के मध्य 40140 वर्गमीटर क्षेत्रफल में **“Providing and laying of micro surfacing courses”** से कार्य कराने के लए अनुबन्ध संख्या:- **31/SE-9/16** दिनांक 2 नवम्बर 2016 को गठित की गयी थी। इस अनुबंध के द्वारा शैड्यूल-बी में दर्शायी गयी मात्र 40140 वर्गमीटर के सापेक्ष 79035.77 वर्गमीटर में **micro surfacing courses** का कार्य **`160 /=** प्रति वर्ग मीटर की दर से **`126.46** लाख (देयक संख्या 67 दिनांक 6 मई 2017 के अनुसार) की रा श में कराया गया था। **micro surfacing courses** के कार्य पूर्ण होने की वास्त वक ति थ (अंतिम देयक के अनुसार) 29 मार्च 2017 थी। इसप्रकार, अनुबन्ध संख्या:- **11/SE-9/12-13** के द्वारा डीबीएम/बीसी से कार्य संपादित (सतम्बर2015) कए जाने के बाद 29 मार्च 2017 को **micro surfacing courses** का कार्य पूर्ण कया गया था। अनुबं धत मात्रा से 38895.77 वर्ग मीटर (96.90 प्रतिशत) अ धक में कार्य कराया गया था। **micro surfacing courses** का कार्य माप-पुस्तिका के अनुसार औसतन 7.37 मीटर चौड़ाई में अनुबं धत 06 कलोमीटर लम्बाई के सापेक्ष 10.731 कलोमीटर लम्बाई में 0.5 कमी से **end of Km.11.00** तक में कराया गया था।

इस ओर इं गत कए जाने पर, खंड द्वारा **micro surfacing courses** के कार्य कराये जाने के पक्ष में बताया गया था क **micro surfacing courses** का कार्य 27 फ़रवरी 2013 एवं 1 जून 2013 के मध्य **DBM/BC** के कार्य के 3 वर्ष **06** महीनो के बाद कराया गया था। पुनः खंड द्वारा शहरी क्षेत्र में भारी वाहनो का आवागमन बन्द करने हेतु इस मार्ग से ही देहरादून क्षेत्र की ओर आने वाले वाहनो का आवागमन होता था जिसके कारण मार्ग पर यातायात बढ़ गया था। क्वेरी से ट्रॉली आने के कारण मार्ग पर **cracks** दृष्टिगत होने लगे थे जिसकी पुष्टि (28 सतम्बर 2016) जीबी पंत इंजीन्यरिंग कौलेज, पौड़ी, गढ़वाल द्वारा कया गया था।

खंड का उत्तर यह इं गत करता है क केवल भारी वाहनो के कारण **crack** उत्पन्न हो गए थे जब क मुख्य अ भयन्ता स्तर-**I** लोक निर्माण वभाग, देहरादून, के द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2016 को कार्य सम्पादन की अनुमति प्रदान करते हुए अधीक्षण अ भयन्ता, नवम वृत, लोक निर्माण वभाग, देहरादून को प्रे षत (24 अगस्त 2016) पत्र यह इं गत करता है क मार्ग पर गड्ढे हो गए थे और इनके निराकरण के लए **micro surfacing courses** का कार्य आवश्यक था। मार्ग पर गड्ढे को सुधारने के लए 126.46 लाख की लागत से अनुबन्ध संख्या:- **11/SE-9/12-13** के द्वारा **micro surfacing courses** का कार्य कराया गया था जिसके माप-पुस्तिका के अनुसार 10.731 कलोमीटर के लम्बाई में 79035.77 वर्गमीटर में कमी 0.50 से **end of Km.11.00** में कार्य **10** जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 के मध्य कराया गया था जब क इन्ही चैनेजो पर मध्य बीसी से

मार्ग के **wearing course** के निर्माण मई 2013 से अक्तूबर 2013 के मध्य संपादित किया गया था जिन पर `299.98 लाख लागत से 3276.50 मी^{3} मात्रा बीसी का प्रयोग हुआ था। इन चैनेजो पर **wearing course** के निर्माण के 3 वर्ष 02 माह से 02 वर्ष 09 माह के मध्य ही, **cracks** तथा गड्ढे का होना, जबकि एक अवलोकन के खंडीय उत्तर के अनुसार बीसी से निर्मित **wearing course** की उम्र चार वर्ष होती है, यह इंगित करता है कि मार्ग के **wearing** का निर्माण कार्य अधोमानक था। खंड का एक लेखा परीक्षा अवलोकन में यह बतलाना कि **BC** का कार्य 27 फ़रवरी 2013 एवं 1 जून 2013 के मध्य पूर्ण कर लिया गया था, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए माप-पुस्तिका की प्रति के अनुसार इन चैनेजो पर बीसी का कार्य मई 2013 से अक्तूबर 2013 हुआ था जिसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है।

Phase-wise details	Left Hand Side		Right Hand Side		Grand Total			
	लंबाई	बीसी की मात्रा	लंबाई	बीसी की मात्रा	लंबाई	बीसी की मात्रा	दर	बीसी की कुल लागत
मई 2013 में निर्मित चैनज 0.392 किमी से 2.822 किमी	**2.43**	**347.97**	3.49	**501.18**	**5.92**	**849.15**	9125.47	7748892.85
जून 2013 में निर्मित चैनज 2.822 किमी से 7.950 किमी	**5.39**	**774.41**	3.67	**521.81**	**9.06**	**1296.22**	9125.47	11828616.72
अक्तूबर 2013 निर्मित चैनज 7.950 किमी से 11.927 किमी	**3.794**	**582.74**	3.88	**548.39**	**7.67**	**1131.13**	9125.47	10322092.88
कुल	**11.61**	**1705.12**	**11.04**	**1571.38**	**22.65**	**3276.50**		**29899602.46**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि चैनेज 7.950 किमी से चैनेज 11.927 किमी (लंबाई 3.794 किमी) पर `**103.22** लाख की लागत से 1131.13 घनमीटर बीसी के बिछाने का कार्य किया गया था जो अपने निर्माण माह अक्तूबर 2013 से केवल 02 वर्ष 09 माह के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गयी थी जबकि जी बी पंत इंजीन्यरिंग कौलेज, पौड़ी गढ़वाल के द्वारा तैयार की गयी डिज़ाइन के अनुसार, मार्ग की डिज़ाइन अवधि एवं **Traffic growth Rate** क्रमशः 10 वर्ष एवं 7.5 प्रतिशत थी। पुनः **Traffic** की गणना किमी. 17.00 पर की गई। खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए बीसी की उम्र सीमा चार वर्ष के अंदर ही उपरोक्त चैनेज पर बीसी से निर्मित मार्ग मात्र तीन वर्ष के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गयी थी। मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 24 अगस्त 2016 में उल्लेखित है कि इस कार्यालय के पत्र 20.07.2016 के द्वारा मार्ग पर **cracks** एवं गढ़े से क्षतिग्रस्त होने के कारण **micro-surfacing** से कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गयी थी और यह कार्य अवश्यम्भावी **(unavoidable)** हो गया था।पुनः खंडीय उत्तर से यह भी परिलक्षित होता है कि अनुबंध की **defect liabilities period 18** माह थी जो अन्तिम मापी दिनांक 15 सितम्बर 2015 से प्रारम्भ होकर 15 मार्च 2017 तक प्रभावी थी।

इस प्रकार, किमी 0.50 से **end of Km.11.00,** जिसमे **micro-surfacing** का कार्य किया गया था, के किमी 7.657 से किमी 11.927 पर 29 सितम्बर 2013 से 6 अक्तूबर 2013 के मध्य

`103.22 लाख से निर्मत **wearing course** मात्र दो वर्ष नौ माह के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर (2):- कम मात्रा में पटरी का निर्माण कए जाने से सुचारु आवागमन एवं मार्ग सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति न होना।

वत्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **50/ III (3) / 13-11** (एस0पी0ए0 / (**12** दिनांक **23** जनवरी 2013के द्वारा जनपद देहरादून में वशेष आयोजनगत सहायता (एस0पी0ए0 (के अंतर्गत एमबीएसडी शहीद गजेन्द्र संह बिष्ट मार्ग (शमला बाइपास मोटर मार्ग लम्बाई- 34.54 कमी) के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु `**46.98** करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही रा श और उतनी ही लम्बाई के लए मुख्य अ भयन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0न0वि0, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या -:**168** -एस.पी.ए/09/पर्व दिनांक 2013 /**008** . .02.2013के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रा व धकी स्वीकृति के प्रावधान-21 के अनुसार यह स्पष्ट कया गया है क मार्ग के पटरी कार्य की लागत `**2.30** करोड़ आ रही है। अतः कार्य करने पूर्व स्थल पर मार्ग की पूरी लंबाई में **kilomiter-wise** लेबिल लेकर **cross-section** बनाकर मट्टी के कार्य क मात्रा का आंकलन कर लया जाए एवं तदनानुसार ही भुगतान कया जाए।

कार्य के प्राक्कलन के अनुसार **construction of Embankment for 2.5 meter wide patries with material obtained from Borrow pit”** के मद पर 90673.26 घनमीटर (कलोमीटर 1-16 में 32721 घनमीटर एवं कलोमीटर 17-34.54 में 57952 घनमीटर) कार्य होना था कन्तु अनुबन्ध संख्या -:**11/SE-9/12-13** के अंतिम देयक के अनुसार केवल 32182.92 घनमीटर में ही कार्य कराया गया था। ज्ञातव्य है क मार्ग के दोनों कनारों पर पटरी का कार्य इस उद्देश्य से कराया जाता है क मार्ग पर यातायात का आवागमन सुचारु रूप से हो तथा पैदल चलने वाले यात्री को असु वधा न हो।

लेखा परीक्षा अवलोकन में अवगत कराया गया था क मार्ग के सम्पूर्ण लंबाई में पटरी का कार्य संपादित कया गया था जो क पटरी के नि र्मत मात्रा से तर्कसंगत नहीं लगता है क्यों क नि र्मत पटरी की मात्रा कलोमीटर 1-16 में प्राक्क लत मात्रा के समतुल्य प्रतीत होता था। इस प्रकार, कम मात्रा में पटरी निर्माण के कारण मार्ग पर यातायात का आवागमन सुचारु रूप से होने तथा पैदल चलने वाले यात्री को असु वधा की संभावना बनी रहेगी। पुनः पटरी, मार्ग के कटाव को रोकने एवं

मार्ग की सुरक्षा के लए आवश्यक है, का समु चत निर्माण नहीं कया जाने से मार्ग में कटाव की संभावना भी बनी रहेगी।

उपरोक्त को इं गत कए जानेपर खंड द्वारा बतलाया गया क मट्टी से बनी पटरी वर्षा ऋतु में बहुत जल्दी बह जाती है और इसका बार-बार निर्माण कया जाना संभव नहीं है जिसके कारण पटरी मद में बचत हुई थी।

खंड द्वारा कम मात्रा में पटरी निर्माण के पीछे दिया गया तर्क और मार्ग के पूर्ण लंबाई में पटरी का निर्माण कए जाने की स्वीकारोक्ति खंड द्वारा एक ही बिन्दु पर खं डत वचार की अ भव्यक्ति है। खंड द्वारा पटरी, जो सुचारु आवागमन एवं मार्ग के सुरक्षा के लए आवश्यक है ता क मार्ग को कटाव से बचाया जा सके, का समु चत निर्माण नहीं कया जाने से मार्ग में कटाव की संभावना भी बनी रहेगी।

STAN

प्रस्तर **(1)** प्राक्क लत उप-कार्य को अतिरिक्त मद में बढ़े हुए दर से कार्य कराये जाने के कारण उक्त मद पर व्यया धक्य 0.67 लाख।

वत्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **50/ III (3) / 13-11** (एस0पी0ए0 / (**12** दिनांक **23** जनवरी 2013 के द्वारा जनपद देहरादून में वशेष आयोजनगत सहायता **(**एस0पी0ए0 (के अंतर्गत एमबीएसडी शहीद गजेन्द्र संह बिष्ट मार्ग (शमला बाइपास मोटर मार्ग लम्बाई- 34.54 कमी) के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु `**46.98** करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही रा श और उतनी ही लम्बाई के लए मुख्य अ भयन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0न0वि0, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या -:**168** -एस0पी0ए/09/ पर्व दिनांक 2013 /**08** 02.2013.के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्य के सम्पादन के लए अधीक्षण अ भयन्ता स्तर से अनुबन्ध संख्या -:**11/SE-9/12-13** के द्वारा `**36.12** करोड़ के अनुबन्ध का गठन कया गया था। वर्तमान में इस अनुबंध के अंतिम देयक के अनुसार `**30.32** करोड़ की रा श व्यय हुई थी और यह देखा गया था क **scarifying of Existing Granular surface"** का मद प्राक्कलन में शा मल था और ठेकेदार द्वारा भी इस उपकार्य के लए प्रदत्त दर `**8.00** प्रति वर्गमीटर थी। परन्तु, वभाग द्वारा पुनरी क्षत शैड्यूलबी-, जिसके आधार पर अनुबन्ध गठित कया गया था, बनाते समय इस उपकार्य को हटा दिया गया था। पुनः यह भी - उल्लेखनीय है क यह उप कार्य-**DBM/BC** के सम्पादन के लए प्रथम आधारभूत कार्य है। संबन्धित कार्य के अंतिम देयक से ज्ञात हुआ क इस उप कार्य को **Extra Item** के द्वारा `**14.40** प्रति वर्गमीटर के दर से 96794.00 वर्गमीटर में कराया गया था जो ठेकेदार द्वारा इस उपकार्य के 96794.00 लए प्रदत्त दर `**8.00** प्रति वर्गमीटर से `**6.40** प्रति वर्गमीटर अ धक थी तथा प्राक्क लत दर से 13.70 प्रति वर्गमीटर से 0.70 प्रति वर्गमीटर अ धक थी। यदि कार्य को पुनरी क्षत शैड्यूल-बी में शा मल कर लया जाता तो ठेकेदार द्वारा प्रदत दर से कराया जाता तो 6,19,482.00 की रा श की बचत की जा सकती थी। पुनः इस कार्य को प्राक्क लत दर, जो **Schedule of rate** पर आधारित थी, से इतर बढ़े हुए दर से कराये जाने के कारण न्यूनतम 0.70 प्रति वर्गमीटर की दर से 67,755.80 की रा श अ धक व्यय करनी पड़ी थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है क **scarifying of existing granular surface** के बाद ही मार्ग का अन्य कार्य कया जाना संभव था। परन्तु, बिना

कारण, जो अ भलेखों में उपलब्ध नहीं था, ही इस उप-कार्य को पुनरी क्षत शैड्यूल-बी में नहीं रखे जाने और अतिरिक्त मद के द्वारा इस उप-कार्य को कराये जाने से ` 67,755.80 (96794.00 वर्गमीटर * ` 0.70 प्रति वर्गमीटर की रा श की व्यया धक्य हुई थी।

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया क सक्षम अ धकारी के द्वारा पुनरी क्षत शैड्यूल - बी बनाते समय इस उप-कार्य को हटा दिया गया था। पुनः खण्ड द्वारा यह भी स्वीकार करते हुए बताया गया क यह कार्य नितांत आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के कारण इस कार्य को अतिरिक्त मद में कराया गया था।

खंड का उत्तर लेखा परीक्षा अवलोकन में कार्य की अपरिहार्य आवश्यकता की पुष्टि करता है और इस प्रकार, उ चत समय निर्णय न लए जाने के कारण ` 67,755.80 का व्यया धक्य हुआ।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

कम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1.	126/2004–05	1,2,3	4
2.	47/2005-06	1,2	1
3.	40/2006-07	1,2,3	-
4.	29/2007-08	1,2,3,4	-
5.	59/2008-09	1,2	1,2
6.	51/2009-10	1,2	-
7.	79/2010-11	1,2,3	1,2
8.	52/2012-13	1,2,3,4	1
9.	56/2013-14	1,2	1
10.	31/2015-16	1	1,2,3,4,5,6,7
11.	60/2016-17	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

पूर्व प्रे षत अनुपालन आख्याओं में से 07 प्रस्तरों का निस्तारण कार्यालय द्वारा कया गया शेष प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रे षत की जायेगी।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) MSSD मार्ग के किमी. 1 से 11.290 तक के BC एवं माइक्रो सरफेसिंग की माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं।
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री वाई.एन. राजवंशी	अधिशासी अभियन्ता	16/9/2016 से वर्तमान लेखा परीक्षा तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।
   1. देवेन्द्र सिंह राणा — विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
आ र्थक क्षेत्र-2